समाचार संक्षेप

हल्की बारिश से शहर की सड़कों में हुआ जल भराव

रायपुर, 16 अप्रैल। शनिवार शाम को हुई हल्की बारिश के चलते शहर की तमाम सड़कों पर जल भराव की स्थिति के चलते लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। ज्ञातव्य है कि शहर में नई सड़कों का जाल बिछे कुछ ही अरसा हुआ है। बावजूद इसके सड़कों पर तकनिकी दोष के चलते सड़कों पर ढलाव नहीं होने के कारण अधिकांश सड़कें पानी से भर गई। शहरियों के अनुसार नई सड़कों के निर्माण के बावजूद भी सड़कों पर जल भराव की स्थिति लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों की घोर लापरवाही का नतीजा है। सबसे बुरी स्थिति शंकर नगर रेलवे क्रासिंग पर निर्माणाधीन एक्स-प्रेस वे मार्ग की थी। जहां पर बाढ़ की स्थिति निर्मित होने से सड़क पानी में डूब गई। जिसके चलते पैदल चलने वालों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। गुढ़ियारी क्षेत्र से मिली जानकारी के अनुसार ओवर ब्रिज से बहता हुआ पानी घरों में घुसने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुढ़ियारी के गौतम जैन ने प्रतिनिधि को जानकारी देते हुए बताया कि अनेकों बार जोन कार्यालय में शिकायत करने के बावजूद भी नालियों में जाम की स्थिति के चलते तेलघानी नाका ओवर ब्रिज से लगी बस्ती में उनकी बहन संगीता के घर पानी भरने से आवाजाही प्रभावित हुई।

साहू समाज सामूहिक विवाह का आयोजन करेगा 22 को

रायपुर, 16 अप्रैल। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी छग हरदीहा साहू समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन 22 अप्रैल रविवार को महादेव घाट स्थित साहू समाज भवन में आयोजित किया गया है। साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार साहू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस वर्ष समाज ने 261 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सामूहिक विवाह की तैयारियां जोर शोर से जारी है। सामूहिक विवाह का आयोजन में प्रदेश के समस्त 27 जिलों सहित आसपास के प्रदेशों के परिवार भी पंजीयन करवा रहे है। युवक युवती एवं उनके परिजनों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई है।

सिंहदेव ने शक्कर कारखाना और कॉलेज खोलने सीएम को लिखा पत्र

रायपुर, 16 अप्रैल। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह को पत्र लिखकर सरगुजा के बटवाही में नया शक्कर कारखाना और नया कॉलेज खोलने की मांग की है। श्री सिंहदेव ने कहा कि सरगुजा जिलान्तर्गत जलवायु के अनुकूल गन्ने की खेती बहुतायत में की जाती है। यहां के गन्ना उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता जिसकी वजह से उन्हें अपनी फसल औन-पौने दाम पर बेचना पड़ता है। यदि लुण्ड्रा विकासखंड अंतर्गत ग्राम बटवाही में शक्कर कारखाना खोला जाता है, तो यहां के गन्ना उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित प्रतिफल मिलेगा और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।इसी तरह सरगुजा जिले के लुण्ड्रा विकासखंड में एक भी महाविद्यालय नहीं है, जिसके चलते यहां के छात्र-छात्राओं को महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए अम्बिकापुर जाना पड़ता है। यदि विकासखंड लुण्ड्रा में नवीन महाविद्यालय खोले जाने से जहां क्षेत्र में उच्च शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा, वहीं छात्र-छात्राओं सहित आम नागरिकों को भी भारी सुविधा होगी। श्री सिंहदेव ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि 16 अप्रैल को बटवानी दौरे में क्षेत्र की तरफसे की जा रही दोनों मांगों को पुरा करें।

आयकर विभाग के कई अफसरों का तबादला

रायपुर, 16 अप्रैल। आयकर विभाग ने मध्यप्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ के एक दर्जन से अधिक अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है। इनमें कई अफसरों को एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया है। रायपुर के भी कई अफसरों को इधर से उधर किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग कार्यालय रायपुर में पदस्थ कई अफसरों को सीधे दूसरे जिलों में तथा विभाग के ही दूसरे शाखाओं में भेजा गया है। ट्रांसफर लिस्ट में अधिकांश अफसर मध्यप्रदेश के हैं तो दर्जन भर से अधिक अफसर छत्तीसगढ़ से भी हैं। आयकर विभाग से जारी तबादला आदेश में रायपुर आयकर कार्यालय में पदस्थ कई अफसरों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। इनमें अनिल कुमार बोकाडे, अंजनी कुमार सिंग, बीनू कुमार, इंद्रजीत राठौर, केसी दास, एलपी बिसेन, मनोज कुमार पाण्डेय, एन. खलको, निर्मल कुमार भगत, पी. शोभा वेनुगोपाल, पवन सिंग ठाकुर, एस. जयलक्ष्मी, एसबी चौधरी, श्री ग्यानदास, संतोष कुमार साहू, उषा श्लेस, वर्गेस जार्ज, युवराज ठाकुर आदि का नाम शामिल है।

दुकान के दराज से नगदी 55 हजार सहित डीवीआर पार

रायपुर, 16 अप्रैल। रायपुरा चौक स्थित विशाल फाईवर ग्लास एवं डोर दुकान में प्रवेश कर अज्ञात चोर ने दराज में रखे नगदी 55 हजार रूपए व सीसीटीवी कैमरा के डीवीआर पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर डीडीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी कन्हैयाय लाल पाल पिता राममिलन पाल 42 वर्ष सत्यम विहार कालोनी रायपुरा का रहने वाला है। प्रार्थी रायपुरा चौक में विशाल फाईवर ग्लास एवं डोर दुकान नाम से दुकान चलाता है। बताया जाता है कि 13-14 की दरम्यानी रात्रि अज्ञात चोर ने प्रार्थी के दुकान में छत के रास्ते से प्रवेश कर दराज में रखे नगदी 55 हजार सहित सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर पार कर दिया।

भाजपा की बैठक में मिशन-65 पर मंथन

सांसदों, विधायकों के कामकाजों की हो रही समीक्षा

✷ सीएम के विकास यात्रा का होगा रूटमैप तैयार

रायपुर, 16 अप्रैल। राज्य में होने वाले विधानसभा की तैयारियों पर भाजपा का मंथन शुरू हो गया है। मिशन-65 को लेकर प्रदेश के भाजपा नेता रणनीति बनाने में जुट गए हैं। भाजपा मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के साथ ही राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री सौदान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक सहित प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और भाजपा जनप्रतिनिधि शामिल हैं। भाजपा मुख्यालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा के रणनीतिकार आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने तथा मिशन-65 को लेकर मंथन कर रहे हैं। बैठक में मुख्य रूप से सांगठनिक और जनप्रतिनिधियों के कामकाजों की समीक्षा भी हो रही है। बैठक की शुरूआत में ही भाजपा के वर्तमान जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के कामकाजों की समीक्षा वरिष्ठजन कर रहे हैं। बैठक में हाल के दिनों में संगठन की हुई गतिविधियों के अलावा भाजपा विधायकों के कामकाजों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। भाजपा जनप्रतिनिधियों द्वारा हाल ही में किए गए जनसंपर्क और लोक सुराज अभियान की समीक्षा के साथ ही विकास यात्रा क रूट मैप भी तैयार किया जा रहा है। बैठक में मुख्य रूप से विधायकों के क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों का भी आंकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मई माह में विकास यात्रा की शुरूआत करेंगे, ऐसे में भाजपा के रणनीतिकारों का मत यह है कि जिन इलाकों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, मुख्यमंत्री का विकास यात्रा इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा फोकस करे, ताकि प्रदेश में भाजपा का जनाधार बढ़ाया जा सके।

बहरहाल भाजपा की यह महत्वपूर्ण बैठक जारी है। बैठक में संगठन महामंत्री पवन साय, अनुसूचित जनजाति विभाग के चेयरमेन रामविचार नेताम सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता, भाजपा सांसद, विधायक और प्रदेश भाजपा के शीर्ष पदाधिकारी आदि शामिल हैं।

ऑक्सी रीडिंग जोन

युवा खुले आसमान के नीचे प्रकृति के सानिध्य में कर सकेंगे पढ़ाई

✷ विश्वस्तरीय ऑक्सी रीडिंग जोन पूर्णता की ओर।

✷ कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त ने लिया निर्माण कार्य का जायजा

रायपुर, 16 अप्रैल। युवाओं के लिए एनआईटी और सेन्ट्रल लाइब्रेरी के बीच बन रहा विश्वस्तरीय ऑक्सी रीडिंग जोन अपनी पूर्णतः की ओर है। इसमें युवा ठण्डी हवा के साथ खुले आसमान के नीचे पढाई कर सकेंगे। कलेक्टर ओ.पी. चौधरी और नगर निगम आयुक्त ने आज यहां ऑक्सी रीडिंग जोन के अंतिम चरण में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। रीडिंग टॉवर की छत में हेंगिंग लाईट और आवश्यक फर्नीचर लगाया जा रहा है। उन्होने कैम्पस में पेड़ो के नीचे बनाए गए गजिबो, केनोपी और परगोलास में पर्याप्त रोशनी करने के निर्देश दिए है। ज्ञात हो कि चौबीसो घण्टे संचालित होने वाले ऑक्सी रीडिंग जोन में युवाओं को सिविल सेवा सहित राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक सुविधा सहित प्रतियोगी वातावरण मुहैया कराया जा रहा है।

रीडिंग टावर की दीवालों में हीट रजिस्टेंस ग्लास और थर्मल इंसुलेशन युक्त छत का निर्माण किया जा रहा है। यहां ई-लाइब्रेरी, वाईफाई जोन और मल्टीमीडिया क्लास रूम बनाए जा रहे है। पूरे कैम्पस में सुरक्षा के लिए सीसीटीव्ही कैमरें और पीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। रीडिंग टावर के बाहर चारो तरफ पीपल, कदम, अमलतास, कचनार, नीम सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए है। उसके साथ ही युवा पानी के समीप पढाई कर सके, उसकी भी व्यवस्था ऑक्सी रीडिंग जोन में की गई है। ऑक्सी रीडिंग जोन में युवाओं को पढ़ने के लिए सालभर वातानुकूलित माहौल उपलब्ध होगा वही खुले आसमान के नीचे प्रकृति के सानिध्य में भी पढाई कर सकेंगे।

पुलिस की आउटर कलोनियों में दबिश, 20 संदिग्ध हिरासत में

रायपुर, 16 अप्रैल। राजधानी पुलिस ने आज दूसरे दिन भी शहर के आउटर की बस्तियों और कालोनियों में बाहरी, अजनबियों और संदिग्धों की धरपकड़ के लिए औचक जांच अभियान चलाया। इस दौरान करीब 20 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर के आउटर की कालोनियों में बाहरी, संदिग्ध एवं बिना थाने में सूचना दिए किराएदारों के रहने की मिल रही शिकायतों को देखते हुए आज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगणों के निर्देशों पर थाना उरला क्षेत्र के लक्ष्मीनगर, बंगालीपारा में नगर पुलिस अधीक्षक उरला के साथ थाना प्रभारी उरला, खमतराई, गुढ़ियारी, तिल्दा के साथ थाना पुलिस लाईन, महिला बल, आर 9, 10, क्यूआरटी 01 का बल लगाकर यहां के करीब 500 मकानों में रहने वाले करीब 1500 लोगों के साथ ही बाहरी, अजनबी, संदिग्ध व्यक्तियों, किराएदारों की जांच किया गया। इस दौरान 70 लोगों को तस्दीक हेतु थाना लाया गया है। इसी प्रकार थाना विधानसभा के हाउसिंग बोर्ड कालोनी कचना में नगर पुलिस अधीक्षक नई राजधानी के द्वारा थाना प्रभारी विधानसभा, खरोरा, देवेन्द्र नगर, तेलीबांधा के साथ पुलिस लाईन, महिला बल, आर 11, 15, पीसीआर 10 का बल लेकर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान 150 मकानों में निवासरत करीब 1000 लोगों की जांच की गई। इस दौरान ऐसे किराएदार जिनकी सूचना थानों में दर्ज नहीं कराई गई है कि सूची भी बनाई गई तथा 20 संदिग्ध लोग मिलने पर तस्दीक हेतु थाना लाया गया है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

नगर निगमों की सामान्य सभा की बैठकों में भी होगा जाति और मूल निवास का प्रमाणीकरण

✷ नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने जिला कलेक्टरों और निगम आयुक्तों को जारी किया परिपत्र

रायपुर, 16 अप्रैल। राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में निवास कर रहे आवेदकों के पास अगर जाति और मूलनिवास के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे प्रकरणों में नगर निगमों की सामान्य सभा की बैठकों में व्यक्ति अथवा परिवार की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। आवेदक निर्धारित प्रारूप में उदघोषणा करेंगे, जिसके सभी तथ्यों विचार करने के बाद सामान्य सभा द्वारा एक अन्य प्रारूप में उसकी जाति और मूल निवास के संबंध में उदघोषणा की जाएगी। गलत जानकारी देकर सामान्य सभा से उदघोषणा करवाने वाले आवेदक के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा और दाण्डिक कार्रवाई की जाएगी।

नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों को इस सिलसिले में परिपत्र जारी किया है। इसमें जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण के संबंध में सामान्य सभा द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को बिन्दुवार विस्तार से समझाया गया है। परिपत्र के साथ आवेदकों और नगर निगमों की सामान्य सभा द्वारा की जाने वाली उदघोषणाओं के दो अलग अलग प्रारूप भी संलग्न किए गए हैं। परिपत्र के साथ जाति और मूल निवास के प्रमाणीकरण के संबंध में सामान्य सभा द्वारा अपनायी जाने वाली बिन्दुवार प्रक्रिया भी जिला कलेक्टरों और निगम आयुक्तों को भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि यह कार्य एक वर्ष तक आयोजित होने वाली सामान्य सभा की बैठकों में पूरा कर लिया जाए और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस आशय से ऐसा कोई व्यक्ति अथवा परिवार शेष नही रह गया है। नगर निगमों द्वारा अपने अपने शहरों में सबसे पहले यह प्रचार प्रसार किया जाएगा कि राज्य सरकार ने शहर में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्तियों की परिवारों की पहचान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है जिनके पास जाति प्रमाण पत्र (प्रास्थिति प्रमाण पत्र) के संदर्भ में निर्धारित तारीख के पहले के अभिलेख नही है। अतः ऐसे व्यक्ति अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में नगर निगम द्वारा अधिकृत कर्मचारी के पास जमा कर दें। समस्त तथ्यों पर विचार करने के बाद सामान्य सभा द्वारा इस संबंध में संकल्प पारित किया जाएगा।

परिपत्र में सामान्य सभा सहित सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र की इस प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। विभाग ने अपने नये परिपत्र में विभाग ने लगभग ढाई साल पहले के अपने 14 दिसंबर 2015 के एक परिपत्र का संदर्भ देते हुए कहा है कि वर्तमान में कई छोटे गांव अब नगर पंचायत में परिवर्तित हो गए हैं। अतः नगर पंचायतों के उन निवासियों को जिनके पास कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाई आ रही है। इसलिए ग्रामसभा के साथ-साथ नगर पंचायत और नगरपालिका परिषद के पारित संकल्प को भी साक्ष्य मानने पर विचार किए जा सकने के बारे में निर्देश प्राप्त हुए थे। इन निर्देशों के अनुरूप नगरपालिक निगमों (शहरी क्षेत्रों) में निवासरत व्यक्तियों, परिवारों को भी उनकी जाति तथा मूलनिवास के संबंध में लोक अथवा निजी दस्तावेजों में साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर उनके लिए भी दस्तावेज मान्य करने के संबंध में निर्देश लागू करने का निर्णय लागू किया गया है। परिपत्र में आगे कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बहुत से व्यक्ति अथवा परिवार ऐसे हैं, जिनके पास अचल संपत्ति नहीं होने तथा उनके पूर्वजों के पढ़े-लिखे नहीं होने के कारण अचल संपत्ति तथा शिक्षा आदि से संबंधित लोक अथवा निजी दस्तावेजों में उनकी जाति और जाति संबंधी विनिर्दिष्ट तारीख (कट ऑफडेट) के पूर्व उनके मूल निवास के संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण वे जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं और उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के ने परिपत्र में सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के आधार पर इस संबंध में बिन्दुवार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

रैली...

रायपुर, 16 अप्रैल। अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राजधानी में निकाली रैली।

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए मानव अधिकार आयोग ने शासन को दिये कड़े निर्देश

रायपुर, 16 अप्रैल। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अक्षय तृतीया पर 18 अप्रैल को बाल विवाह रोके जाने के लिए छग मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा छग शासन के समस्त जिला कलेक्टरों एवं समस्त पुलिस अधीक्षकों को मुख्य सचिव एवं डीजीपी को परिपत्र जारी कर हर हालात में बाल विवाह रोके जाने के लिए कड़े निर्देश दिये गये है। भारतीय समाज के सदस्यों एवं अंध श्रद्धा उन्नमूलन समिति के प्रदेश अध्यक्ष डा. दिनेश मिश्र ने भी बाल विवाह रोके जाने के संबंध में जिला प्रशासन से समस्त आयोजनों को रोके जाने के बाबत जिला प्रशासन को कड़े निर्देश देने की मांग की है। ज्ञातव्य है कि मप्र राजस्थान छग उप्र बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में अक्षय तृतीया को शुभ मुहूर्त होने के कारण बड़ी संख्या में बाल विवाह किये जाने की परंपरा रही है। जबकि भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा विवाह की अधिकतम आयु युवक के लिए 21 वर्ष एवं युवती के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के उन्मूलन के लिए जन जागरण जरूरी-दिनेश मिश्र

रायपुर, 16 अप्रैल। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के उन्मूलन के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। शिक्षा का प्रचार प्रसार न होने जागरूकता की कमी, पुरानी परम्पराओ को पालन करने के नाम पर होने वाले बाल विवाहों को रोकना सभी जागरूक नागरिकों का कर्तव्य है, अक्षय तृतीया के मौके पर अधिकाधिक संख्या में बल विवाह संपन्न होते है जिनमे कई बार तो वर वधु बने बच्चे अंगूठा चूसते हुए माँ की गोद में बैठे रहते है तो अनेक मामलों में दस ग्यारह वर्ष की उम्र में ही शादी कर जाती है इस आयु में बच्चे न तो शारीरिक तथा मानसिक रूप से विवाह जैसी गंभीर जिम्मेदारी निभाने के लायक होते है। बाल विवाह से बालिकाओ की पढाई लिखाई बंद हो जाती है बल्कि उन्हें कम उम्र से ही मातृत्व का बोझ उठाना पड़ता है जिसके लिए वे शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार नहीं होती।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड नारायणपुर जिला-नारायणपुर (छ.ग.)

नि0सू0क्र0 / 02 /व0ले0लि0/का0अ0/लो0स्वा0यां0/खण्ड/2018 नारायणपुर , दिनॉक 13.04.2018

–:: मैनुअल पद्धति निविदा सूचना ::–

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदरों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनअुल निविदा आमंत्रित की जाती है :–

01. विवरण :– नारायणपुर जिले के नारायणपुर विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में जमा मद के अंतर्गत जल वितरण प्रणाली 90 मि0मी0 व्यास के 06 Kg/Cm^2 यू.पी.व्ही.सी. पाईप तथा फिटींग का प्रदाय गढ्ढा खुदाई, बिछाने, जोड़ने, गढ्ढा पटाई, स्टेण्ड पोस्ट निर्माण कार्य एवं संबंधित सम्पूर्ण कार्य, मय टेस्टिंग एवं 03 माह ट्रायल रन सहित।

समूह क्र.	ग्राम/बसाहट का नाम	ठेके की अनुमानित राशि (रू. लाख में)	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र की अंतिम तिथि
1	2	3	4
01	कानागांव/खासपारा	2.08	
02	भरण्डा/खासपारा	2.53	26.04.2018
03	खड़कागांव/खासपारा	3.40	
04	कोरेण्डा/खासपारा	3.40	
05	सोनपुर/खासपारा	3.55	

02. उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
नारायणपुर (छ.ग.)

जी-50582